न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

दिनांकः– 12 / 09 / 2019

न.मु.– 30 / 2016

1. पुसाराम पुत्र हरकाराम जाति जाट भामू निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त

.... प्रार्थी

बनाम

1 तुलसी देवी पत्नि स्व0 किसनाराम जाति भाट निवासीनी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त
2 बजरंगलाल पुत्र स्व0 किसनाराम जाति भाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त
3 रामनिवास पुत्र स्व0 किसनाराम जाति भाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त
4 तहसीलदार बीदासर (चूरु)

.............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत प्रार्थी की ओर से...
2. इकतरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3. पैरोकार राज. अप्रार्थी संख्या 4

– : निर्णय :–

दिनांकः–12/9/19

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खातेदार प्रार्थी पुसाराम पुत्र हरकाराम जाति जाट भामू निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु प्रान्त का है जोकि मेरा कब्जा, काश्त, खातदारी, कृषि भूमि आपके उपखण्ड क्षैत्र बीदासर में स्थित ग्राम दूंकर में खेत खसरा नं0 376 तादादी 19–12 बीघा में काश्त करता आ रहा हू और मै मेरी उपरोक्त कृषि

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी

भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतू अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण मेरे पड़ौसी तुलसी देवी पत्नि स्व0 किसनाराम वा बजरंगलाल व रामनिवास पुत्रगण किसनाराम जाति भाट निवासीगण ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु के खेत खसरा संख्या 377 रकबा 13–10 बीघा मेंसें आता जाता था जो मेरे खेत के पश्चिमी तरफ है। अब मै इस रास्ता को 20 फुट चौड़ा करवाना चाहता हू उपरोक्त खेत मेरे नाम खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है व इसलिये मैं राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए की उप धारा(1) के अन्तर्गत अनुमती हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूँ आदि आदि।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को आदेश अमल में लाया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार राज ने राज्यहित नही होना प्रकट किया।

बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि यह कि खातेदार प्रार्थी पुसाराम पुत्र हरकाराम जाति जाट भामू निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त का है जोकि मेरा खातेदारी, कृषि भूमि आपके उपखण्ड क्षैत्र बीदासर में स्थित ग्राम दूंकर में खेत खसरा नं0 376 तादादी 19–12 बीघा में काश्त करता आ रहा हूँ और मैं मेरी उपरोक्त कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतू अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण मेरे पड़ौसी तुलसी देवी पत्नि स्व0 किसनाराम वा बजरंगलाल व रामनिवास पुत्रगण किसनाराम जाति भाट निवासीगण ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु के खेत खसरा संख्या 377 रकबा 13–10 बीघा मेंसें आता जाता था जो मेरे खेत के पश्चिमी तरफ है। यह कि अब मै इस रास्ता को 20 फुट चौड़ा करवाना चाहता हू ।

प्रार्थना पत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन व परिशिलन किया। प्रार्थना पत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन व परिशिलन किया। राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर व पटवारी तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खसरा संख्या 376 के कोई कटानी रास्ता नही लगता है खसरा संख्या 377 के मध्य मेंसें पूर्व से पश्चिम तक स्थित सड़क तक 20 फुट चौड़ा रास्ता आपसी सहमती से कायम कर रखा है जो वर्तमान में चालू है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

लगातार....3...पर...

उपखण्ड अधिकारी

– : आदेश : –

खातेदार प्रार्थी पुसाराम पुत्र हरकाराम जाति जाट भामू निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान प्रान्त के कब्जा, काश्त, खातदारी, कृषि भूमि ग्राम दूंकर में खेत खसरा नं0 376 तादादी 19–12 बीघा में काश्त करता आ रहा जिसकें उपरोक्त कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतू पड़ौसी तुलसी देवी पत्नि स्व0 किसनाराम वा बजरंगलाल व रामनिवास पुत्रगण किसनाराम जाति भाट निवासीगण ग्राम दूंकर तहसील बीदासर के खेत खसरा संख्या 377 रकबा 13–10 बीघा के मध्य मेंसें पूर्व से पश्चिम तक स्थित सड़क तक 20 फुट चौड़ा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 376 की पश्चिमी सीव से लगाकर खसरा संख्या 377 के पश्चिमी तरफ स्थित सड़क तक लम्बाई 70 गंठा कटानी रास्ता तक कायम किया जाता है। जिसका अलग बट्टा नम्बर जारी करें व गैर मुमकिन रास्ते का रिकार्ड अंकित करें। तथा जितनी भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरां संख्या 377 से रास्ता हेतू दी जा रही है उतनी भूमि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 376 मेंसे अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। तहसीलदार बीदासर भू–अभिलेख निरिक्षण की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा जिसमें प्रस्तावति रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है निर्णय का भाग रहेंगें। तहसीलदार बीदासर को निर्णय की पालना हेतू अलग से लिखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12/3/19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी